न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पत्र नम्बर 155/2025

प्रोमिला बनाम तहसीलदार संगरिया

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाईप–लाईन डालने की स्वीकृति देने बाबत

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 217/17 में कुल खाता की 5.313 है. मे से 2/7 हिस्सा प्रार्थीया के नाम व 1139/5313 हिस्सा प्रार्थीया के सुजल के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर प्रार्थीया की शांतिपूर्वक कब्जा त है प्रार्थीया के उपरोक्त रकबा में काश्त हेतु व कृषि भूमि में सिचाई सुविधा हेतु प.न. /161 के मु.न. 22 के किला नं. 1 में पानी की पक्की डिग्गी बनी हुई है। जिससे प्रार्थीया ने खेत में आपासी करती आ रही है। प्रार्थीया की कृषि भूमि टुकडो में विभाजित होने के ण पाईप लाईन से सिचाई सुविधा करनी पड़ रही है। प्रार्थीया की प.न. 162/162 के मु.न. के किला नं. 3,5,5,6,7 में सिचाई सुविधा हेतु प.न. 162/1612 के मु.न. 21 के किला नं. 25 किला नं. 25 के उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में किला लाईन से चिपती हुई पाईप लाईन की श्यकता है। प्रार्थीया को उक्त रकबा में सिचाई हेतु अन्य कोई व्यवस्था/विकल्प नही है। र्थीया अस्थाई तौर से पाईप द्वारा अपने खेत में फसल बचाने हेतु सिचाई करती आ रही है। अब ार्थी ने प्रार्थी सिचाई सुविधा हेतु पाईप लाईन डालने से रोक दिया है। इसलिए प्रार्थीया अपने त में सिचाई सुविधा से वचित हो गई है। प्रार्थीया के पास सिचाई सुविधा हेतु प.न. 162/161 म.न. 21 के किला नं. 25 के उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में किला लाईन से चिपती हुई पाईप ाईन डालने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए प्रार्थीया प्रस्तावित पाईप लाईन को ाश्त की सुविधा अनुसार स्वीकृत करवाना चाहती है।

प्रार्थीया अपने चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 217/17 में प.न. 162/162 के मु.न. 35 किला नं. 3,4,5,6,7 में सिचाई सुविधा हेतु खाता संख्या 1/1 में प.न. 162/161 के मु.न. 21 के किला नं. 25 में उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में किला लाईन से चिपती हुई 3 फुट गहरी भूमि में ार्थीया एक खेत से दूसरे खेत हेतु अपने खर्चा पर पाईप लाईन मन्जूर किये जाने बाबत ार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी ने अपने पत्रांक राजस्व/2025/1232 दिनांक 02.05.2025 द्वारा प्रार्थीया प.न. 162/161 मु.न. 21 के किला नं. 16 से प.न. 162/162 मु.न. 35 किला नं. 5 में पाईप लाईन हेतु स्वीकृति चाहता है प्रार्थीया की मु.न. 22 किला नं. 1 में डिग्गी बनी होना व खाता संख्या 1/1 मे

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

1692/161 मु.न. 21 किला नं. 25 राज.सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड होना एवं मुताबिक बन्दी रिकॉर्ड स्थगन नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली

अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्रार्थीया की मांग/सिचाई सुविधा को दृगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
प्रार्थीया प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगी।
शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
प्रार्थीया द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थीया लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगी।
तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष मे जमा करवाये।
यदि बीच में कोई रास्ता/खाला हो तो उसको कोई नुकसान नही पहुचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थीया को चक 17 बीजीपी प.न. 162/161 मु.न. 21 के केला ने. 25 मे उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में पत्थर लाईन से चिपती हुई 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एत्द्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने एवं राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी।

तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 9.5.2025 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner